भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3385

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की समय पर उपलब्धता के लिए योजना

3385. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रासायनिक और पेट्रोरसायन उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन योजना या पीएलआई योजना लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा कोई विनियामक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;
(घ) क्या जैविक और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष पहल की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या भेषज उद्योग हेतु शिक्षा, अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई संस्थान या योजना संचालित की जा रही और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रत्येक फसल मौसम से पहले देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख): विभाग ने रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में विकास हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर):

भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बडे पैमाने पर एकीकृत एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से संवर्धित करते हैं। पीसीपीआईआर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश प्रदान करने हेतु सामान्य अवसंरचना एवं सहायक सेवाओं के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से संकल्पित हैं।

(ii) प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु स्कीम

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना लागू करता है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना और सामान्य सुविधाओं को सक्षम करने को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने में मदद करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वयित करना है।

(iii) रसायन संवर्द्धन और विकास स्कीम

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग विभिन्न उद्योग प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान उत्पादों के निर्माण और ज्ञान के प्रसार द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रासायनिक संवर्धन और विकास स्कीम लागू कर रहा है। इस स्कीम के तहत, विभाग देश भर में प्रमुख दुर्घटना जोखिम इकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रासायनिक आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

(ग): रासायनिक इकाइयों सहित उद्योग हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित कानूनी ढांचे के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंड सीसी) द्वारा शासित होते हैं:

i. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
ii. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016
iii. रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकाल योजना तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम 1996

इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने परिसंकटमय रसायन का निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 जारी किया है। इन नियमों के तहत कोई अलग दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 11.06.2021 के ओए सं. 60/2021 में निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने अन्य संबंधित अधिकारियों के समन्वय से " परिसंकटमय रसायन का निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत कवर किए गए पृथक भंडारण और उद्योगों के संबंध में रसायन सुरक्षा के लिए एकीकृत मार्गदर्शन ढांचा" नामक दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(घ): उत्तर पूर्वी राज्यों को छोडकर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। दोनों स्कीमें जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन

तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके। दोनों स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

पीकेवीवाई के तहत, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को ऑर्गेनिक कंपोस्ट सहित खेत पर और खेत के बाहर आर्गेनिक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तीन वर्ष के लिए दिए जाते हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, आर्गेनिक आदानों आदि के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में कुल 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को इस स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये सहित खेत पर/खेत के बाहर आर्गेनिक आदानों के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। आईसीएस प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रमाणन (एनपीओपी) की गतिविधियों के लिए 3 वर्षों में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर मूल्य श्रृंखला विपणन के लिए 3 वर्षों में 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, बजट घोषणा के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) को मंजूरी दी है, जिसके तहत गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित मृदा कार्बन संवर्द्धकों जैसे किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) और ऑर्गेनिक उर्वरक जैसे फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (प्रोम) को बढ़ावा देने के लिए सीबीजी संयंत्रों/उर्वरक विपणन कंपनियों को 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

'ऑर्गेनिक उर्वरकों के संवर्धन पर नीति' और 'बाजार विकास सहायता के संवितरण के लिए दिशानिर्देश' 20 सितंबर, 2023 को जारी किए गए हैं।

एफओएम/एलएफओएम/पीओएम (एमटी में) और जारी एमडीए (₹करोड़ में) की वर्ष-वार बिक्री निम्नानुसार है:

वर्ष	**एफओएम**	**एलएफओएम**	**प्रोम**	**कुल**	**जारी एमडीए (₹करोड़ में)**
2023-24	27,899.62	28,159.00	0.00	56,058.62	शून्य
2024-25	1,06,620.15	2,28,181.00	1,490.16	3,36,291.30	28.00
2025-26 (05.08.2025 तक)	1,18,098.90	2,59,471.98	1,402.35	3,78,973.22	26.91
कुल	2,52,618.66	5,15,811.98	2,892.50	7,71,323.14	**54.91**

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसतन खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कटौती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी राशि के 50% के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) नैनो यूरिया सहित नैनो उर्वरकों के उपयोग को विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि जागरूकता शिविरों, वेबिनारों, नुक्कड़ नाटकों, क्षेत्र प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

(ii) संबंधित कम्पनियों द्वारा नैनो उर्वरक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना में नैनो उर्वरकों को शामिल किया गया है।

(iv) आईसीएआर ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के माध्यम से हाल ही में "उर्वरकों (नैनो-उर्वरकों सहित) के प्रभावकारी और संतुलित उपयोग" पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया था।

(v) पर्णीय अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के अनुप्रयोग और उपयोग को सुगम बनाने के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे नवोन्मेष छिड़काव विकल्प और खुदरा दुकानों पर बैटरी चालित स्प्रेयरों के वितरण जैसी पहलें की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग स्प्रेयिंग सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

(vi) उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से उनके साथ परामर्शों और क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शनों के माध्यम से देश के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी को अपनाने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से देश के 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के फील्ड स्तरीय प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी अभियान शुरू किया है।

(ङ.): औषध विभाग ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) संस्थान स्थापित किए हैं, जो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने के अलावा, विभिन्न फार्मा विशेषज्ञताओं में अत्याधुनिक अनुसंधान करते हैं।

औषध विभाग 5,000 करोड़ रुपये के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की स्कीम भी लागू कर रहा है। इस स्कीम के तहत, अनुसंधान बुनियादी ढांचे के निर्माण और चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹ 700 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ सात एनआईपीईआर में से प्रत्येक में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, यह स्कीम पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें नई दवाओं, सटीक चिकित्सा, जटिल जेनेरिक्स, बायोसिमिलर, चिकित्सा उपकरण एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध दवाएं आदि का विकास शामिल है। इस घटक के लिए वित्तीय परिव्यय ₹4,250 करोड़ है।

****